World Environment Day

World Environment Day, which is celebrated every year on 5th June, is the United Nations' principal vehicle for encouraging worldwide awareness and action for the environment. Over the years it has grown to be a broad, global platform for public outreach that is widely celebrated by stakeholders in over 150 countries each year. The day has become a vital forum for promoting progress on the environmental dimensions of the Sustainable Development Goals.

The observance of World Environment Day began in 1974. The activities began rotating through different host countries and cities in 1987, Kenya being the first country to host in 1987. India hosted World Environment Day in the year 2011 when the theme was 'Forest: Nature at Your Service". India is the global host for celebrating World Environment Day, 2018 as offered by UN Environment and the theme for World Environment Day, 2018 is "Plastic Pollution" which is one of the most challenging environmental concerns today.

Plastic is durable, versatile and cheap yet degrades slowly. Plastic pollution involves the accumulation of plastic products in the environment that adversely affects wildlife, wildlife habitat and humans. Plastic pollution can unfavourably affect lands, waterways and oceans. Rapid urbanization has contributed to the problem of growing waste generation and its disposal. Plastic waste and bags, if not collected systematically, choke drainage system and create unhygienic conditions; animals ingest plastic bags with the discarded food leading to their illness and sometimes death; the plastic waste when disposed of on soil reduces recharging of ground water aquifers; and when disposed of in landfill sites causes leaching of metals and additives into the soil and ground water. Plastic fragmentation produces micro-plastics which can be taken up by microorganisms. The problem of marine debris is also related to safety of beaches which attract millions of tourists all along the coast. Because of its continued and growing adverse impact, action is essential now from multiple directions to beat plastic pollution.

India is committed to the theme of World Environment Day 2018 i.e. 'Plastic Pollution'. In order to tackle the issue of waste management in India, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has notified the Plastic Waste Management (PWM) Rules, 2016. Some of the salient features of these rules include increasing the minimum thickness of plastic carry bags from 40 to 50 microns; mandatory registration of manufacturers of plastic carry bags with State Pollution Control Boards; making waste generators including individual, bulk generators like offices, commercial establishments, industries, event organisers responsible for source segregation of the plastic waste and handing over of segregated waste; payment of user fee as per bye-laws of the local bodies; establishment of collect back system of plastic waste by the producers/ brand owners as per Extended Producers Responsibility, etc.

In addition to legislation, the movement towards sustainable lifestyle requires multiple actions and creative approaches. Firstly, awareness among citizens especially, targeting youth and children as agents of change can make a transformational impact. Secondly, there is a need for developing solutions whereby non-recyclable plastic can be reutilized as secondary raw material for development of newer products with use of efficient technologies and skilling informal sector. The non-recyclable combustible fractions can also be converted to refuse-derived-fuel (RDF) and can be used as alternative fuel in cement plants.

Environment is our collective responsibility and we need to move together with everyone to solve environmental problems. We must realize the concern and make collective efforts to reduce our plastic footprint. At the same time, the per capita consumption of plastic needs to be curtailed and this is the right time for us to plan for the future so that the single use of plastic may be safe for human and other living organisms.

Department of Posts is pleased to issue a set of four Commemorative Postage Stamps on the theme "Beat Plastic Pollution" on the occasion of World Environment Day.

Credits:

Text : Based on the information received from Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Stamps/Miniature Sheet/ First Day Cover/Brochure: Shri Suresh Kumar

Cancellation Cachet : Smt. Alka Sharma

विश्व पर्यावरण दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस, जो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण के लिए विश्वव्यापी जागरूकता को प्रोत्साहित करने तथा कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रधानमंच है। पिछले कुछ वर्षों से यह लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने हेतु एक व्यापक, वैश्विक मंच बन गया है जिसे प्रतिवर्ष 150 से अधिक देशों के पणधारियों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। यह दिवस सतत विकास लक्ष्यों के पर्यावरण संबंधी आयामों के संबंध में प्रगति को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।

विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की परम्परा वर्ष 1974 में शुरू की गई। वर्ष 1987 से विभिन्न मेजबान देशों और शहरों के माध्यम से बारी-बारी से कार्यकलापों को संचालित करने की शुरूआत हुई, वर्ष 1987 में सबसे पहला मेजबान देश केन्या बना था। वर्ष 2011 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी, जिसमें मुख्य विषय 'वनः प्रकृति आपकी सेवा में' था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत को विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 के आयोजन के लिए वैश्विक स्तर पर मेजबानी करने का सुअवसर प्रदान किया गया है और विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 के लिए मुख्य विषय 'प्लास्टिक प्रदूषण' है, जो वर्तमान समय में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण समस्याओं में से एक है।

प्लास्टिक टिकाऊ, विभिन्न प्रकार से प्रयोग किए जाने योग्य और सस्ता है, किन्तु बहुत धीमी गति से अवक्रमित होता है। प्लास्टिक प्रदूषण में पर्यावरण में प्लास्टिक उत्पादों के संचय शामिल है जो वन्य जीवों, वन्य जीव पर्यावासों तथा मानवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण स्थलों, जलमार्गों और महासागरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत में त्वरित शहरीकरण ने बढ़ते हुए अपशिष्ट उत्पादन और इसके निपटान की समस्या में योगदान किया है। यदि प्लास्टिक अपशिष्ट तथा बैगों का समुचित रूप से एकत्रण न किया जाए तो ये जल निकास प्रणाली को जाम कर देते हैं और अस्वास्थ्यकर स्थितियां उत्पन्न करते हैं; पशु फेंके गए भोजन के साथ प्लास्टिक बैग भी निगल जाते हैं जिसके फलस्वरूप बीमार होते हैं और कभी-कभी मर भी जाते हैं; जब प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जमीन पर फेंक दिया जाता है तो इससे भू-जल के जलभृतों की भरण क्षमता कम हो जाती है; और जब अपशिष्ट को खत्ता स्थलों में डाला जाता है तो इससे मिट्टी तथा भू-जल में धातुओं तथा इनके यौगिकों का निक्षालन होता है। प्लास्टिक विखंडन से माइक्रो-प्लास्टिक उत्पन्न होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। समुद्री मलबे की समस्या समुद्रतटों की सुरक्षा से भी संबंधित है जो लाखों पर्यटकों को समुद्रतट की सैर के लिए आकर्षित करते हैं। इसके लगातार बढ़ते हुए प्रतिकूल प्रभाव के कारण, अब प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए बहु-आयामी कार्रवाई करना अनिवार्य हो गया है।

भारत विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 के विषय 'प्लास्टिक प्रदूषण' के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं, जिनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैंः प्लास्टिक कैरीबैगों की न्यूनतम मोटाई 40 से 50 माइक्रोन तक बढ़ाना; प्लास्टिक कैरीबैग के विनिर्माता का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण अनिवार्य करना; वैयक्तिक, कार्यालयों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, उद्योगों, समारोह के आयोजक जैसे बड़े उत्पादनकर्ताओं सहित अपशिष्ट के उत्पादनकर्ताओं को प्लास्टिक अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण और पृथक्कृत अपशिष्ट को सपुर्द करवाना; स्थानीय निकायों के उपनियमों के अनुसार उपयोग शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाना; विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुसार उत्पादकों/ब्रांड मालिकों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट की वापस एकत्रण प्रणाली की स्थापना को अनिवार्य बनाना, आदि।

इसके लिए कानून बनाने के अलावा, सतत जीवन शैली के लिए चलाए गए अभियान में अनेक प्रकार के कार्यकलापों तथा रचनात्मक दृष्टिकोणों की अपेक्षा होगी। सर्वप्रथम, नागरिकों, विशेष रूप से परिवर्तन के एजेंटों के रूप में युवाओं और बच्चों में जागरूकता पैदा करने से इस परिदृश्य में बदलाव आएगा। द्वितीयतः, प्रभावकारी तकनीकों का प्रयोग करके और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण देकर विकास संबंधी समाधान करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा जो प्लास्टिक पुनर्चक्रण के योग्य नहीं है उसको नए उत्पादों को तैयार करने हेतु गौण कच्चे माल के रूप में पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। गैर-पुनर्चक्रणीय दहनशील प्लास्टिक अंशों को भी अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन(आरडीएफ) के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और उसका उपयोग सीमेंट कारखानों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

पर्यावरण को संरक्षित करना हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें इस समस्या की गंभीरता को समझने तथा अपने सामूहिक प्लास्टिक फूट प्रिंट में कमी लाने हेतु सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही, प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उत्पादों की खपत में कमी लाने की आवश्यकता है और यह भविष्य के लिए योजना तैयार करने का उचित समय है ताकि प्लास्टिक का एकल उपयोग मानव तथा अन्य जीव जन्तुओं के लिए सुरक्षित हो सके।

डाक विभाग, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर "प्लास्टिक प्रदूषण से जंग" विषय पर चार स्मारक डाक-टिकटों का सेट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभारः-

मूलपाठ : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सामग्री पर आधारित

डाक-टिकट/मिनियेचर शीट/ प्रथम दिवस आवरण/विवरणिका : श्री सुरेश कुमार

विरूपण मोहर : श्रीमती अलका शर्मा

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	:	500 पैसा(4)
Denomination	:	500 p (4)
मुद्रित डाक-टिकटें (4 प्रकार)	:	6.0 लाख प्रत्येक
Stamps Printed (4 Types)	:	6.0 Lakh each
मुद्रित मिनियेचर शीट	:	1.1 लाख
Miniature Sheet Printed	:	1.1 Lakh
मुद्रण प्रक्रिया	:	वेट ऑफसेट
Printing Process	:	Wet Offset
मुद्रक	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	:	Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at
http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

मूल्यः ₹ 5.00